OFFICE OF CHIEF ELECTORAL OFFICER, HARYANA
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा

CHIEF ELECTORAL OFFICER, HARYANA

No. 345-359/CU Power Pack/HVS-2024/4AE-12558 Dated: 29.10.2024

To

The Principal Secretary,
Election Commission of India,
New Delhi.

Subject:- General Election to the Legislative Assembly of Haryana State, 2024- Complaints of Indian National Congress-Regarding.

Sir,

In regard to the subject cited above, I am directed to refer to the Election Commission of India's letter No. 39/ECI/HR-LA/2024/NS-II, dated 15th October 2024, whereby, complaints received from Indian National Congress in respect of 26 Assembly Constituencies have been sent to this office for further forwarding to the Returning Officers (ROs) concerned for a suitable reply directly to the complainant(s) by the respective Returning Officers (ROs). This office accordingly forwarded all these complaints to the concerned ROs and they had been asked to send reply to all these complaints directly to the complainant(s) with a copy to this office.

2. It may be stated that, the construct of the election process is decentralized and the Returning Officers are the final Statutory Authorities during the election period inter alia containing all the statutory and non-statutory processes mentioned above in details in their respective Assembly Constituencies and during these processes, no complaints were received barring in six Assembly Constituencies, which were received during counting. These complaints were Constituency-specific and were replied by the concerned ROs at relevant point of time and counting continued to the satisfaction of all representatives of Candidates present and the results were declared after completion of counting. Through the election process is complete, and the office of Returning Officer has become functus officio, still all the Returning Officers (ROs) have given detailed replies to all the complaints received in their offices after declaration of result (particulars of all these complaints as given above). For any challenge to the decision of Returning Officers, thereafter, the remedy is available Under Section 81 of the Representation of the People Act through Election Petitions only.

3. The references of the replies given by ROs are given in tabular form as below and the same is available at the Link- **https://ceoharyana.gov.in/WebCMS/Start/1935**

contd...2

Office: 30 Bays Building, 3rd Floor, Sector 17-B, Chandigarh – 160017 (India) Tel: 0172-2701200, 2728936, 2701362 Fax: 0172-2706556
कार्यालय 30 बेज बिल्डिंग तृतीय तल, सैक्टर 17–बी, चण्डीगढ़ –160017(भारत) दुरभाष 0172 2701200ए 2728936ए 2701362 फैक्स 0172 2706556
E-mail: hry_elect@yahoo.com Website: www.ceoharyana.nic.in- - 1

S. No.	Name and No. of AC	Name of Returning Officer	Name of the complainant with party affiliation.	RO's reply to the complainant No. and date	No. of Annexures attached with the reply	No. of pages of reply along with annexures
1.	1-Kalka	Sh. Rajesh Punia, HCS	Sh. Pardeep Chaudhary, INC	1801, dated 28.10.2024	18	49
2.	19- Nilokheri (SC)	Sh. Ashok Kumar, HCS	Sh. Sanjeev Kumar, Election Agent, INC	RO-19/551, dated 18.10.2024	7	37
3.	20- Indri	Sh. Surender Pal, HCS	Sh. Rajesh Kumar, INC	5359/Steno/RO, dated 23.10.2024	6	51
4.	21-Karnal	Sh. Anubhav Mehta, HCS	Smt. Sunita Virk, INC	1995/Steno, dated 21.10.2024	14	65
5.	22- Gharaunda	Sh. Rajesh Kumar Soni, HCS	Sh. Virender Singh Rathore, INC	1043, dated 29.10.2024	15	57
6.	23- Assandh	Sh. Rahul, IAS	Sh. Samsher Singh Gogi, INC	904- Nirvachan, dated 28.10.2024	10	72
7.	24-Panipat Rural	Sh. Braham Prakash, HCS	Sh. Sachin Kundu, INC	Nirvachan-2024 593, dated 29.10.2024	9	45
8.	25- Panipat City	Sh. Pankaj, IAS	Sh. Varender Kumar Shah, INC	6488, dated 28.10.2024	14	73
9.	43-Dabwali	Sh. Arpit Sangal, IAS	Sh. Amit Sihag, INC	1128/Chunav-2024, dated 28.10.2024	20	87
10.	44-Rania	Sh. Lakshit Sareen, IAS	Sh. Sarv Mittar, INC	Nirvachan-2024/2321, dated 29.10.2024	23	94
11.	51-Barwala	Sh. Ved Prakash, HCS	Sh. Ram Niwas Ghorela, INC	1027/Steno, dated 29.10.2024	27	62
12.	53-Nalwa	Ms. C. Jayashardha, IAS	SH. Anil Maan, INC	Chunav-2024/ 3046/dated 23.10.2024	17	34
13.	55-Badhra	Sh. Suresh Kumar, HCS	Sh. Somvir Singh, INC	To be substitute bearing same No. & date 437/ Nirvachan-2024. dated 16.10.2024	22	61
14.	56-Dadri	Sh. Naveen Kumar, HCS	Dr. Manish Sangwan, INC	To be substitute bearing same No.& date 518/Steno, dated 18.10.2024	22	61
15.	69- Mahendragarh	Sh. Sanjiv Kumar, HCS	Sh. Deepak Kumar, INC	Nirvachan-2024/ 3260, dated 28.10.2024	16	73
16.	70-Narnaul	Dr. Jitender Singh, HCS	Sh. Rao Narender Singh, INC	Nirvachan-2024/ 2464, dated 28.10.2024	19	51
17.	73-Kosli	Sh. Vijay Kumar Yadav, HCS	Sh. Amit Yadav, INC	Nirvachan-2024/ 1205, dated 28.10.2024	10	66
18.	74-Rewari	Sh. Surinder Singh, HCS	Sh. Sujan Singh Yadav, INC	Nirvachan-2024/1658/ Dated 28.10.2024	9	46
19.	75-Pataudi (SC)	Sh. Dinesh, HCS	Smt. Peral Chaudhary, INC	Nirvachan/2024/1059, dated 23.10.2024	7	38
20.	76-Badshahpur	Sh. Ankit Chouksey, IAS	Sh. Vardhan Yadav, INC	Nirvachan-2024/ 1842, dated 23.10.2024	7	36
21.	83-Hodal (SC)	Sh. Ranbir Singh, HCS	Sh. Anirudh Vyas, Election Agent, INC	Nirvachan-2024/ 1711, dated 22.10.2024	35	56
22.	84-Palwal	Smt. Jyoti, IAS	Sh. Karn Singh Dalal, INC	Nirvachan/2024, dated 23.10.2024	9	39

Contd...3

23.	86- Faridabad NIT	Sh. Anand Kumar Sharma, IAS	Sh. Neeraj Sharma, INC	Nirvachan-2024/86/2104, dated 29.10.2024	12	101
24.	87-Badkhal	Sh. Amit Maan, HCS	Sh. Vijay Pratap, INC	Nirvachan/2024/87/1942, dated 28.10.2024	12	95
25.	88-Ballabhgarh	Sh. Mayank Bhardwaj, HCS	Smt. Parag Sharma, INC	Nirvachan/88/1766, dated 22.10.2024	20	118
26.	89-Faridabad	Smt. Shikha Antil, HCS	Sh. Lakhan Kumar Singla, INC)	Nirvachan-89/VS/2024/1103, dated 28.10.2024	12	75

4. This office has studied all the replies sent by the Returning Officers. It is evident from the replies that the Returning Officers have followed all the processes pertaining to the conduct of elections as prescribed by the Election Commission of India. They have informed in advance about all the activities/processes to be performed to the political parties and candidates from time to time and the representatives of political parties/candidates have remained present in all these processes including commissioning, handling, movement and storage of EVMs. Some of the processes, where advance notices were sent to the political parties/candidates and where their representatives were *inter-alia* present are given as below:-

I. First Level Check (FLC) of all the Electronic Voting Machines (EVMs);
II. First Randomization of all the EVMs;
III. Second Randomization of all the EVMs;
IV. Commissioning of EVMs 5-8 days before polling date and during this process the placing of batteries in Control Units (CUs) of EVMs, sealing and obtaining signatures of representatives present in the process on the address tags of EVMs;
V. Storing of EVM after Commissioning in the Strong Rooms;
VI. Distribution and dispatching of the EVMs with polling parties;
VII. Mock poll before the actual poll on the day of polling;
VIII. Conduct of poll on the polling day;
IX. Preparation of Form 17C by the Presiding Officer after the completion of polling, obtaining signatures of the Polling Agents on Form 17C and providing the details of Form 17C to the Polling Agents;
X. Depositing the polled EVMs in the Strong Rooms and sealing of the Strong Rooms of the polled EVMs;
XI. Guarding of Strong Rooms by candidates/their representatives;
XII. Scrutiny of Form 17C one day after the day of polling in presence of General Observer;
XIII. Maintenance of the Log Register at the Strong Rooms and obtaining signatures of the bonafide visitors;
XIV. Opening the Strong Room at the day of counting for counting purposes and taking the polled EVMs from Strong Room to the counting hall;
XV. Counting of votes on the day of counting; and
XVI. Declaration of results after the counting was completed.

contd...4...

5. It is ascertained from the reports of the ROs that the representatives of the Candidates (including the representative of the INC Candidate), were present in all these 26 Assembly Constituencies during the processes of-

- First and Second Randomization;
- Commissioning of EVMs,6-8 days prior to 5.10.24, the polling day;
- Placing the new battery in Control units of EVMs and sealing it during commissioning;
- Obtaining the signatures of the representatives on the address tags of EVMs;
- Conduct of poll on 5.10.24;
- Sealing of polled EVM after polling;
- Depositing the polled EVMs in the strong rooms and sealing of the Strong rooms of the polled EVMs on 5.10.24;
- Scrutiny of documents on the next day of polling i.e.6.10.24;
- Opening the Strong Rooms on the day of counting on 8.10.24, and
- During entire counting purposes on 8.10.24 till the declaration of the result.

6. From above, it is clear that starting from the process of commissioning of EVMs 5-8 days before polling when batteries were placed in the CUs of EVMs and sealed, up to declaration of result; candidates or their representatives or political parties have remained present, participated in all these processes and never raised such grievances. Further, I have also conducted meetings with political parties twice during election period where the representatives of the political parties have attended the meetings. The minutes of the meetings are enclosed as **Annexure-'A' & 'B'**. In addition, the delegation of Indian National Congress has met the CEO twice but never raised any doubt about the processes associated with EVMs.

7. The complaints are baseless, without any evidence, devoid of facts and seem to be an afterthought to justify the false narrative built after the declaration of results.

Yours faithfully,

Encl: As Above

Asstt. Chief Electoral Officer
for: Chief Electoral Officer, Haryana.

OFFICE OF CHIEF ELECTORAL OFFICER, HARYANA
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा

चुनाव का पर्व
DESH KA GARV
LOK SABHA ELECTION 2024

क्रमांक ई– 20916 (Political Party) Elec –2024/5एई 7485 दिनांकः 03.08.2024

सेवा में

राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रधान/सचिव
1.भारतीय जनता पार्टी
2.इंडियन नैशनल कांग्रेस
3.भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (एम)
4.भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
5.नेशनल पीपुल्स पार्टी
6.आम आदमी पार्टी
7.ईडियन नेशनल लोकदल
8.जननायक जनता पार्टी

विषयः– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा की अध्यक्षता में द्वितीय फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 के सम्बन्ध में दिनांक 03.08.2024 को सुबह 11:00 बजे कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सम्मेलन कक्ष, तीसरी मंजिल, 30 बेज इमारत, सैक्टर–17, चण्डीगढ़ में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की कार्यवाही।

महोदय

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक (राजनैतिक दल) निर्वाचन–2024/5एई–7446, दिनांक 01.08.2024 के संदर्भ को जारी रखते हुए आपको इस पत्र के साथ दिनांक 03.08.2024 को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2024 के सम्बन्ध मे हुई बैठक की कार्यवाही सूचनार्थ भेजी जाती है ।

भवदीय,

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
कृतेः मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।

3rd Floor, Sector 17-B, Chandigarh – 160017 (India) Tel: 0172-2701200, 2728936, 2701362 Fax: 0172-2706556
2701200, 2728936, 2701362 फैक्स: 0172-2706556

Annexure-'A' 7

बैठक की कार्यवाही

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा की अध्यक्षता में द्वितीय फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 के सम्बन्ध में दिनांक 03.08.2024 को सुबह 11:00 बजे कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सम्मेलन कक्ष, तीसरी मंजिल, 30 बेज इमारत, सैक्टर–17, चण्डीगढ़ में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लियाः–

1. श्री विरेन्द्र गर्ग, खजांची (भारतीय जनता पार्टी)
2. श्री तलविंदर सिंह, प्रदेश कार्यालय सहायक सचिव (इंडियन नैशनल कांग्रेस)
3. श्री आर. एस. सेठी. सदस्य, जिला पंचकुला कमेटी (भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (एम)।
4. वकील वीनस, राज्य संयुक्त सचिव (आम आदमी पार्टी) ।
5. डॉ0 सत्यवर्त, सदस्य बुद्धिप्रकोष सैल (ईडियन नेशनल लोकदल)
6. श्री राम नारायण यादव, सलाहकार (जननायक जनता पार्टी)

अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 01.07.2024 को निर्धारित तिथि मानकर द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यकम प्रारम्भ हो गया है। जो इस प्रकार हैः–

Sr. No.	Revision Activity	Period allowed for stage
1.	Publication of draft electoral roll.	On 02.08.2024 (Friday)
2.	Period for filing claims & objections	02.08.2024 (Friday) to 16.08.2024 (Friday)
3.	Special campaign dates	03-08-2024 (Saturday) 04-08-2024(Sunday) 10-08-2024 (Saturday) 11-08-2024(Sunday)
4.	Disposal of claims and objections	26.08.2024 (Monday)
5.	Final publication of electoral roll	On 27.08.2024 (Tuesday)

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय ने बताया कि दिनांक 02.08.2024 को प्रदेश के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों पर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारम्भिक प्रकाशन विधिवत रूप से करवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि किसी भी चुनाव का आधार एक त्रुटिरहित/साफ सुथरी मतदाता सूची होती है, इसलिए मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने हेतु सभी राजनैतिक दलों के सहयोग की आवश्यकता है।

2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय ने बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने हेतु फार्म नं0 6, अप्रवासी भारतीयों द्वारा 6 ए, मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोडने के लिये फार्म नं.6 बी, मृत मतदाताओं/स्थाई स्थानान्तरित मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने हेतु फार्म नं0 7, शुद्वि हेतु फार्म नं0 8, का प्रयोग किया जाना है। इसके अतिरिक्त आम जन भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल www.voter.eci.gov.in पर जाकर ओनलाईन पंजीकरण करवा सकते है या अपने मोबाईल पर वोटर हैल्पलाईन ऐप डाउनलोड करके भी पंजीकरण संबंधित सुविधा प्राप्त कर सकते है।

3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि दिनांक 02.08.2024 को हरियाणा राज्य के सभी 90–विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचियों के प्रारम्भिक प्रकाशन का डाटा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की वैबसाईट www.ceoharyana.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। जिसमें कोई भी मतदाता अपनी जानकारी प्राप्त कर सकता है।

4. अध्यक्ष महोदय ने बताया कि कोई भी आम जन/मतदाता नया वोट बनवाने, वोट कटवाने, शुद्धि करवाने व वोट स्थानान्तरण इत्यादि बारे जानकारी के लिए टोल फ्री नं0. 1950 पर कॉल करके प्राप्त कर सकता है।

5. अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों पर बी0एल0ए0 को नियुक्त करने का कष्ट करें ताकि सभी बी0एल. ओ0 उनके साथ मिलकर एक त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने का कार्य कर सके।

6. अध्यक्ष महोदय ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश के 19812 मतदान केन्द्रों पर रैशनलाईजेशन किया गया, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद प्रदेश में कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 20629 हो गई है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय ने बताया कि प्रदेश के कई जिलों नामतः गुडगांव, फरीदाबाद, सोनीपत व पंचकुला में हाई राईज/ग्रुप हाउसिंग सोसायटी मे मतदान केन्द्र स्थापित किये गये है।

7. अध्यक्ष महोदय ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 01.08.2024 से प्रदेश के सभी जिलों में ई.वी.एम. मशीनों की फस्ट लेवल चैकिंग (एफ0एल0सी) शुरू हो गई है। जिसकी जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला में सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गई है। अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों से प्रदेश के सभी जिलों में ई.वी.एम. मशीनों की फस्ट लेवल चैकिंग (एफ0एल0सी) में भाग लेने बारे आग्रह किया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय ने मीटिंग में उपस्थित सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों का धन्यवाद करते हुए बैठक का समापन किया।

OFFICE OF CHIEF ELECTORAL OFFICER, HARYANA
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा

9

CHIEF ELECTORAL OFFICER, HARYANA

No. 285/PP Meeting/HVS/Elec-2024/1AA-8150 Dated: 23-08-2024

To

The President/General Secretary/Secretary of all the Recognized National/State Political Parties in Haryana State.

Subject: General Election to Legislative Assembly of Haryana, 2024- the proceedings of meeting with representative of Political Parties held on 20.08.2024 at 11:30 AM under the Chairmanship of Chief Electoral Officer, Haryana- regarding

Sir,

On the subject cited above, I am directed to send herewith a copy of proceedings of meeting with representatives of Political Parties held on 20.08.2024 regarding General Election to Haryana Vidhan Sabha-2024 for information and necessary action.

Yours faithfully,

DA: as above

Deputy Superintendent,
for: Chief Electoral Officer, Haryana

Internal Distribution:
1. Secy. to PS, Election
2. PA to CEO
3. PA to Addl. CEO/JCEO
4. AE-2, Care Taker& SA

Office: 30 Bays Building, 3rd Floor, Sector 17-B, Chandigarh – 160017 (India) Tel: 0172-2701200, 2728936, 2701362 Fax: 0172-2706556
फैक्स:0172 2706556E-mail: hry_elect@yahoo.com Website: www.ceoharyana.gov.in

Annexure-'B'
-10-

बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा की अध्यक्षता में दिनांक 20.08.2024 को 11:30 बजे कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा, तीसरी मंजिल, 30 बेज बिल्डिंग, सैक्टर 17, चण्डीगढ़ में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित की गई बैठक की कार्यवाही।

दिनांक 20.08.2024 को 11:30 बजे श्री पंकज अग्रवाल, भा.प्र.से., मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा की अध्यक्षता में हरियाणा विधान सभा आम चुनाव, 2024 के सम्बन्ध में एक बैठक का आयोजन किया गया था। जिसमें विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ इस विभाग के निम्न अधिकारियों ने भाग लिया:-

1. श्रीमति हेमा शर्मा, भा.प्र.से., अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा।
2. श्री अपूर्व, एच.सी.एस., संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा।
3. श्री राज कुमार, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा।

राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि:-

1. श्री राजकुमार, बहुजन समाज पार्टी।
2. श्री विरेन्द्र गर्ग, भारतीय जनता पार्टी।
3. श्री के.सी. भाटिया, चैयरमैन (legal, HR & RTI), हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी।
4. डॉ. सत्यवर्त, सदस्य (Intellectual Cell), इंडियन नेशनल लोक दल।
5. श्री राम नारायण यादव, सलाहकार, जननायक जनता पार्टी।

अध्यक्ष महोदय ने बैठक में सम्मिलित प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए उन्हे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा विधान सभा आम चुनाव, 2024 के सम्बन्ध में जारी कार्यक्रम के बारे में अवगत करवाया तथा चुनाव के सम्बन्ध में उन्हें आदर्श आचार संहिता, चुनाव खर्चे और मीडिया में विज्ञापन के प्रकाशन इत्यादि विभिन्न विषयों से सम्बन्धित भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तृत जानकारी दी तथा उक्त दिशा-निर्देशों की प्रति पैन ड्राईव के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई।

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय ने बैठक मे उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को निम्न मुख्य बिन्दुओं बारे भी अवगत करवाया गया:-

1. अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि दिनांक 19.08.2024 को राज्य में कुल 2,03,27,631 पंजीकृत मतदाता है। जिसमें से 1,08,19,021 पुरूष मतदाता, 95,08,155 महिला मतदाता, 455 ट्रांसजेंडर मतदाता है।

इसके अतिरिक्त राज्य में पंजीकृत प्रवासी मतदाताओं, 85+ आयु के मतदाताओं, 100+ आयु के मतदाताओं, दिव्यांग मतदाताओं, युवा मतदाताओं की संख्या के बारे में अवगत करवाया।

2. अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि राज्य में दिनांक 11.07.2024 से 16.08.2024 तक कुल 5,43,082 फर्म प्राप्त हुए। जिसमें 2,34,810 फार्म–6, 09 फार्म–6 ए, 1,96,601 फार्म–7 तथा 1,11,662 फार्म–8 प्राप्त हुए। जिनका निपटारा दिनांक 23.08.2024 तक कर दिया जाएगा तथा दिनांक 27.08.2024 को मतदाता सूची का अंतरिम प्रकाशन होना है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय ने बताया कि विधान सभा आम चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन अर्थात् 12.09.2024 से 10 दिन पूर्व तक नए मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए फर्म–6 तथा मतदाता अपने–अपने मतदाता पहचान पत्र में यदि कोई परिवर्तन हो तो फार्म–8 भर सकते है।

3. अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को ई.वी.एम / वी.वी.पैट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में ई.वी.एम / वी.वी.पैट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। सभी ई.वी.एम / वी.वी.पैट की प्रथम स्तरीय जांच BEL, Hyderabad के इंजिनियर द्वारा करवाई जा चुकी है।

4. अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं / उम्मीदवारो की सहुलियत हेतू लांच किये गये ऐप (The Suvidha Candidate App, cVIGIL, The Know Your Candidate (KYC), The Saksham App, Voter Helpline App) के बारे में संक्षिप्त रूप में बताया गया।

5. अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि प्रत्येक उम्मीदवार हरियाणा विधान सभा चुनाव के दौरान कुल 40 लाख तक का खर्चा प्रचार / प्रसार / यातायात, इत्यादि पर कर सकता है। जिसके लिए सभी उम्मीदवारों को खर्चा रजिस्टर दिया जायेगा जिसमें उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन व्यय से सम्बन्धित प्राप्त राशि तथा खर्च का विवरण अलग–2 रखना होगा। उन्होंने बताया कि चुनाव खर्च की देखरेख के लिए आयोग द्वारा चुनाव व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किया जायेगा। चुनाव अवधि के दौरान उम्मीदवार द्वारा तीन बार अपने खर्चे के रजिस्टर की पड़ताल चुनाव व्यय पर्यवेक्षक द्वारा बताई गई निर्धारित तिथि व समय पर करवाई की जानी होगी। अन्यथा उसे नोटिस दिया जायेगा।

6. अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को नामांकन भरने के सम्बन्ध में जारी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देशों तथा अति–आवश्यक फार्मो बारे बताया गया।

7. अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों द्वारा प्रचार सामग्री प्रिंट/इलेक्ट्रोनिक मीडिया अथवा सोशल मीडिया में प्रकाशित करने से पहले उसकी मंजूरी राज्य एवं जिला स्तर पर गठित मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिरिंग कमेटी (एम.सी.एम.सी.) से लेनी आवश्यक है।
8. अध्यक्ष महोदय ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवारों तथा राजनैतिक दलों द्वारा प्रचार के लिए पैम्फलेट, लीफलेटस इत्यादि सामग्री छपवाई जाती है तो उस पर प्रकाशक तथा मुद्रक की जानकारी दर्ज होनी चाहिए। यदि प्रचार सामग्री पर प्रकाशक तथा मुद्रक का नाम, पता नहीं होगा तो उनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के तहत कार्यवाही की जाएगी।
9. अध्यक्ष महोदय ने बताया कि सी--विजिल (cVIGIL) मोबाईल एप के माध्यम से राजनैतिक दल, उम्मीदवार और आमजन भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करवा सकते है। एप पर फोटो खींचकर या वीडियो बना कर भी अपलोड कर सकते है। वोटर हैल्पलाईन नंबर--1950 पर भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकते है। इसके अलावा नेशनल ग्रीवांस सर्विस पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते है।

इसके उपरांत अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि चुनाव के सम्बन्ध में कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो उक्त बारे में बताने को कहा गया। जिस उपरांत राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने निम्न बिन्दू अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखेः--

1. नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि ने अनुरोध किया कि निर्वाचक नामावली की फोटो सहित सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करवाई जाए तथा अभी प्रदान की जाने वाली फोटो सहित निर्वाचक नामावली की 1 फोटोकॉपी के स्थान पर अधिक प्रदान करने का कष्ट करे।
2. सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियो द्वारा अनुरोध किया गया कि विधान सभा आम चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन अर्थात् 12.09.2024 से 10 दिन पूर्व तक नए मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए फर्म--6 तथा मतदाता पहचान पत्र में यदि कोई परिवर्तन हो तो फार्म--8 भर सकते है बारे आम जन को मीडिया, सोशल मीडिया, रेडियों जिंगल एवं अखबारों के माध्यम से जागरूक करने का कष्ट करे।
3. भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने अनुरोध किया है कि चुनाव से सम्बन्धित शिकायत का निपटान चुनाव सम्पन्न होने से पूर्व करवाने का कष्ट करे तथा उक्त बारे शिकायतकर्ता को भी अवगत करवाने का कष्ट करे।

4. भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने अनुरोध किया कि ई.वी.एम/वी.वी.पैट से सम्बधित कोई भी कार्यक्रम जिला स्तर पर किया जाता है तो उस बारे में सभी राजनैतिक दलों को समय पूर्व लिखित रूप में नोटिस जारी करने का कष्ट करे।
5. सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा अनुरोध किया गया कि भारत निर्वाचन आयोग की ऐप के सम्बन्ध में राजनैतिक दलों की आई.टी. टीम को ट्रेनिंग देने का कष्ट करे।
6. इसके अतिरिक्त सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा अनुरोध किया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हिदायत अनुसार मतदान के दिन उम्मीदवार मतदान केंद्र से 200 मीटर दूर अपना बूथ बना सकता है। जोकि काफी दूर है इसलिए उक्त दूरी को कम करवाने का कष्ट करे।

अन्त में अध्यक्ष महोदय ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा किये गये अनुरोध/शिकायतों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों अनुसार निपटाने का आश्वासन दिया तथा बैठक में उपस्थित सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों व कार्यालय के अधिकारियों का धन्यवाद किया और बैठक का समापन किया।